# प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. **जिलाः**–ए.सी.बी. चौकी कोटा देहात **थाना**.... प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र0नि0ब्यूरो, जयपुर
**प्र0सू0रि0संख्या** 229/23 **दिनांक** 23/8/2023
2. (1) **अधिनियम– भ्रष्टाचार निवारण अधि. 1988 (यथा संशोधित 2018) धारा–07**
(2) **अधिनियम– भारतीय दण्ड सहिंता** .....**धारा –**
(3) **अधिनियम**.....**धारायें** –.....
(4) **अन्य अधिनियम धारायें**.....
3. (अ) **रोजनामचा आम रपट संख्या**.....459.....**समय**.....8:10 pm.....
(ब) **अपराध घटने का दिन ... मंगलवार....दिनांक....22.08.2023 ...समय 4.50 पी.एम.**
(स) **थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक... 22.08.2023 समय 11.30 ए.एम.**
4. **सूचना की किस्म लिखित/ मौखिक – हस्तलिखित** रिपोर्ट
5. **घटना स्थलः**– रेलगांव–भाण्डाहेडा रोड, इण्डियन ऑयल पेट्रोल पम्प के पास, रेलगांव थाना सीमलिया, कोटा

**(अ)पुलिस थाना से दिशा व दूरीः–बजानिब पूर्व व** 35 कि.मी.

**(ब)** 'पताः– रेलगांव–भाण्डाहेडा रोड, इण्डियन ऑयल पेट्रोल पम्प के पास, रेलगांव थाना सीमलिया, कोटा

**जरायम देही संख्या**.....

**(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना –**

6. **परिवादी/सूचनाकर्ता :–**

**(अ)** नामः– श्री हरिओम सुमन

**(ब)पिता का नाम** – श्री सुखलाल

**(स)** **जन्म तिथी/वर्ष**..... उम्र 37 वर्ष

**(द)** **राष्ट्रीयता.**– भारतीय

**(य)** **पासपोर्ट संख्या**.....**जारी होने की तिथी**.....
**जारी होने की जगह**.....

**(र)व्यवसाय–व्यवसाय**

**(ल)** पता – ग्राम रेलगांव, थाना सीमलिया जिला कोटा

7. **ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्योरा सम्पूर्ण विशिष्ठियों सहित :–**

(1) श्री सुरेश चंद सुमन पुत्र श्री नेमीचंद सुमन जाति माली, उम्र 38 साल, निवासी रामदेव जी के मंदिर के पास काला तालाब, थाना रेल्वे कॉलोनी तहसील लाडपुरा जिला कोटा हाल तकनीकी सहायक, कार्यालय सहायक अभियंता, जयपुर विधुत वितरण निगम लि., दीगोद, जिला कोटा

8. **परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने मे विलम्ब का कारणः–**..... शून्य..
9. **चुराई हुई लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये).**
10. **चुराई हुई/लिप्त सम्पत्तियों का कुल मूल्य**.....4,000/– रूपये.....
11. **पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)**.....
12. **विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्नालगायें) :–**

श्रीमान प्रकरण के हालात इस प्रकार हैं कि दिनांक 22.08.2023 समय 11:30 ए.एम. परिवादी श्री हरिओम सुमन पुत्र श्री सुखलाल जाति माली, उम्र 37 साल निवासी रेलगांव जिला कोटा मोबाईल नं. 9024687113 ने उपस्थित कार्यालय होकर एक स्वयं द्वारा हस्तलिखित प्रार्थना पत्र श्रीमति प्रेरणा शेखावत अति. पुलिस अधीक्षक के समक्ष इस आशय का पेश किया कि"मैं रेलगांव थाना सीमलिया का रहने वाला हूं। हमने हमारी कृषि भूमि पर विधुत कनेक्शन ले रखा है, जो मेरे पिताजी श्री सुखलाल सुमन के नाम पर है, जिसके के नम्बर– 210745005480 है, जिसका बिजली बिल अधिक आने पर मैं हमारे गांव में विधुत विभाग में कार्यरत तकनीकी सहायक प्रथम श्री सुरेश सुमन से मिला तथा मैने सारी बात उसे बताई तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे कृषि कनेक्शन के मीटर में गडबडी करके बिजली के बिल को मार्च, 2024 तक का जीरो करवा दूंगा परंतु इसकी एवज में आपको 8000 रु रिश्वत के देने पडेंगे। इस पर मैने श्री सुरेश चंद सुमन तकनीकी सहायक, प्रथम की शिकायत आपके विभाग के टोल फ्री नम्बर 1064 पर भी 4–5 दिन पहले की थी। मैं उक्त

आरोपी को रिश्वत नही देना चाहता हूं और आरोपी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूं। मेरी आरोपी से कोई रंजिश नही है और ना ही कोई उधार का लेन–देन बकाया है। आरोपी के विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करें। परिवादी ने दरयाफ्त पर बताया कि आरोपी आज ही मुझसे रिश्वती राशि की बातचीत कर लेगा। प्रार्थना पत्र तथा परिवादी से दरयाफ्त से मामला प्रथम दृष्ट्या रिश्वत की मांग का होना पाया गया है। मामला रिश्वत की मांग का पाए जाने पर गोपनीय सत्यापन करवाया गया। समय 12.10 पी.एम. पर मालखाने से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकालकर परिवादी श्री हरिओम सुमन को सुपुर्द कर डिजिटल वाईस रिकॉर्ड को चलाना व बंद करना समझाया गया। रेलगांव सीमलिया पहुंचकर आरोपी से सम्पर्क कर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु निर्देशित किया तथा श्री नरेश कानि.144 को हिदायत दी की परिवादी व आरोपी के मध्य होनी वाली रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को यथासंभव नजदीक रहकर छुपाव हासिल करते हुए देखने व सुनने का प्रयास करें। फर्द सुपुर्दगी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर तैयार कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाए गए। परिवादी श्री हरिओम सुमन व श्री नरेश कानि.144 को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु रवाना किया गया। समय 3.05 पी.एम. पर परिवादी हरिओम सुमन व श्री नरेश कानि. उपस्थित कार्यालय आए। परिवादी ने बताया कि मैं तथा नरेश जी कानि. रवाना होकर थोडी देर में हमारे गांव रेलगांव, कोटा पहुंच गए थे। मैने घर पर पहुंचकर आरोपी श्री सुरेश चंद सुमन को मेरे मोबाईल नम्बर 9024687113 से आरोपी के मोबाईल नम्बर 7737311063 पर कॉल कर कहा कि मैं घर पर आ गया हूं, इस पर आरोपी ने कहा कि मैं थोडी देर में आपके घर पर आ रहा हूं। थोडी देर बाद श्री सुरेश चंद सुमन हमारे घर पर आ गया, उसे आता देख मैने डीजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर आरोपी सुरेश चंद सुमन से रिश्वत मांग की वार्ता की थी। श्री नरेश जी कानि. वही मेरे घर में अपनी उपस्थित छिपाते हुए छिप गए थे। आरोपी से रिश्वती राशि के सम्बंध में बात हुई तो आरोपी ने मुझसे बिजली का बिल जीरो करने की एवज में पहले 8000रु रिश्वती राशि की मांग की तथा मेरे व मेरे पिताजी द्वारा राशि कम करने का निवेदन करने पर 7,000रु रिश्वती राशि लेने के लिए सहमत हो गया, जिसमें से 4,000रु आज ही देने के लिए कहा है तथा शेष 3000 रू0 बाद में लेने हेतु सहमत हुआ है। आरोपी ने आज मांगी रिश्वत राशि 4000 रू0 के साथ ही माह जुलाई के बिजली बिल की राशि 1971 रुपये (लगभग 2000 रुपये) भी देने के लिए कहकर आज कुल 6000 रू0 देने के लिए कहा है। रिश्वती राशि की बातचीत कर श्री सुरेश चंद सुमन मेरे घर से चला गया। आरोपी के मेरे घर से जाने के बाद मैने डिजिटल वाईस रिकॉर्ड को बंद कर लिया था तथा श्री नरेश जी के पास आकर सारी बात बताई थी। इस पर हम दोनो रवाना होकर एसीबी कार्यालय कोटा आ गए। श्री नरेश कानि. 144 ने परिवादी के कथनों की ताईद की। परिवादी से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर सुना गया तो परिवादी के कथनों की ताईद हुई। फर्द प्राप्ती डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मुर्तिब कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाए गए तथा मन् उप अधीक्षक पुलिस को श्रीमति प्रेरणा शेखावत अति. पुलिस अधीक्षक ने अपने कक्ष में बुलवाया तथा परिवादी श्री हरिओम सुमन से मिलवाया जाकर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के बारे में बताकर डीजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। समय 3.15 पी.एम पर मन उप अधीक्षक पुलिस, परिवादी हरिओम सुमन व डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को साथ लेकर अपने कक्ष में आया तथा कार्यालय में पूर्व से उपस्थित स्वतंत्र गवाहान श्री देवेश गुर्जर तथा श्री रवि कुमार डागर कनिष्ट सहायक, कार्यालय नगर निगम कोटा उत्तर को भी अपने कक्ष में बुलवाया तथा परिवादी श्री हरिओम सुमन से मिलवाया तथा ट्रेप कार्यवाही से अवगत करवाया। दोनों गवाहान से ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह बनने की मौखिक सहमति प्राप्त कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दोनों गवाहान से पढवाकर हस्ताक्षर करवाये गये। समय 3.18 पी.एम. **पर** श्री दिलीप कानि. 401 भ्र.नि.ब्यूरो, स्पेशल यूनिट कोटा उपस्थित कार्यालय आया। समय 3.20 पी.एम. पर श्री असलम खान सउनि द्वारा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को कार्यालय के लैपटॉप में लगाया जाकर स्पीकर चालू कर परिवादी व दोनों गवाहान को सुनाया गया। रिकॉर्ड वार्ता में परिवादी श्री हरिओम सुमन ने एक आवाज स्वयं की, दूसरी आवाज आरोपी श्री सुरेश चंद सुमन तकनीकी सहायक, जेवीवीएनएल, कार्यालय सहायक अभियंता, दीगोद, कोटा की होना पहचान की। चूंकि आरोपी श्री सुरेश चंद सुमन तकनीकी सहायक, ने परिवादी को रिश्वती राशि लेकर आज ही समय 5.00 पी.एम. तक बुलाया है। अतः समयाभाव होने से फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता मुर्तिब नही की जा सकी। समय 3.35 पी.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी से रिश्वत में दी जाने वाली राशि को पेश करने हेतु कहा गया

तो परिवादी श्री हरिओम सुमन ने बताया कि मैं अभी आरोपी को उसके द्वारा मांगी गई 4000 रू0 रिश्वत राशि ही दे दूंगा तथा बिजली बिल लगभग 2000 रू0 मैं स्वयं ही जमा करवा दूंगा तथा यह बात सुरेश चन्द सुमन को कह दूंगा। तत्पश्चात् परिवादी श्री हरिओम सुमन ने दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष अपने पास से भारतीय मुद्रा के 500–500 रूपये के 08 नोट कुल चार हजार रूपये निकालकर मन् पुलिस उप अधीक्षक को पेश किये, जिनका विवरण निम्न प्रकार है:

| क्र. स. | नोट | नोट का नम्बर |
|---|---|---|
| 1 | एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी | 5FS914509 |
| 2 | एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी | 2TR006974 |
| 3 | एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी | 8AL902232 |
| 4 | एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी | 3BP858925 |
| 5 | एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी | 7CT200500 |
| 6 | एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी | 6MA476108 |
| 7 | एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी | 1TF420033 |
| 8 | एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी | 8BK406948 |

श्रीमति कीर्ति महिला कानि. 253 के द्वारा मालखाने से फिनोफ्थिलीन पाउडर की शीशी निकलवाई गई। एक अखबार के ऊपर थोड़ा सा फिनोफ्थिलीन पाउडर डलवाकर उपरोक्त सभी नोटों पर फिनोफ्थिलीन पाउडर भली भांति लगवाया गया। स्वतंत्र गवाह श्री देवेश गुर्जर से परिवादी श्री हरिओम सुमन की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास पहने हुए कपड़ों में मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु इत्यादि नहीं रहने दी गई। उक्त फिनोफ्थिलीन पाउडर लगे नोटों में से श्रीमति कीर्ति महिला कानि. 253 से सीधे ही परिवादी की पहनी हुई पेंट की साईड की बांयी जेब में में रखवाए गए। एक प्लास्टिक के पारदर्शी गिलास में साफ पानी मंगवा कर उसमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। इस घोल में श्रीमति कीर्ति महिला कानि. 253 के फिनोफ्थिलीन पावडर युक्त दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार फिनोफ्थिलीन व सोडियम कार्बोनेट पावडर के आपसी मिश्रण की प्रतिक्रिया को दृष्टान्त देकर सम्बधितों को समझाया गया। परिवादी को हिदायत दी गई कि वह आरोपी व्यक्ति से हाथ नहीं मिलावे और ना ही पावडर लगे नोटो को रास्ते मे अनावश्यक रूप से हाथ लगावे। आरोपी व्यक्ति के मांगने पर ही उक्त पावडर लगे नोटो को अपनी पेंट की जेब से निकाल कर उसे देवे तथा उसके द्वारा रिश्वत ग्रहण करने के पश्चात ट्रेप पार्टी के सदस्यों की ओर अपने सिर पर दोनो हाथ फेरकर या मन पुलिस उप अधीक्षक के मोबाईल फोन पर मिसकॉल कर ईशारा करे। मन पुलिस उप अधीक्षक के मोबाईल नम्बर परिवादी के मोबाईल में सेव करवाये गये। इसके बाद गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिंकवाया गया। फिनोफ्थिलीन पाउडर की शीशी जरिये श्री श्रीमति कीर्ति महिला कानि. 253 के वापस मालखाने मे रखवाई गई। नोटो पर पावडर लगाने मे प्रयुक्त अखबार तथा पारदर्शी प्लास्टिक के गिलास को नष्ट करवाया गया।श्रीमति कीर्ति महिला कानि. 253 के दोनों हाथों को साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाया जाकर कार्यालय मे ही छोड़ा गया। कार्यवाही में काम मे आने वाले कांच की शीशियों मय ढक्कन साबुन से अच्छी तरह साफ करवाया गया। ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साफ पानी एवं साबुन से धुलवाये गये। दोनों गवाहान को हिदायत दी गई कि परिवादी के आसपास नजदीक रहकर परिवादी एवं आरोपी के बीच होने वाले रिश्वत के लेन–देन को देखने एवं वार्ता को सुनने का प्रयास करे। इसके पश्चात सरकारी डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर परिवादी को देकर उसे चलाने व बन्द करने की विधि पुनः समझाई गई तथा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर परिवादी की पेंट की साईड की दांयी जेब में रखवाया गया तथा हिदायत दी गई कि आरोपी से होने वाली बातचीत को डिजीटल वॉईस रिकार्डर मे रिकॉर्ड करे। समय 03.50 पी.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय श्री असलम खान सउनि, स्वतंत्र गवाह श्री देवेश गुर्जर कनिष्ट सहायक श्री दिलीप कानि. 401 के तथा परिवादी श्री हरिओम सुमन व श्री नरेश कानि. को परिवादी की मोटर साईकिल से आगे–आगे रेलगांव, सीमलिया कोटा के लिए रवाना कर तथा श्री गिरिराज कानि. 387 तथा स्वतंत्र गवाह श्री रवि कुमार डागर को कार्यालय की सरकारी मोटर साईकिल से परिवादी के पीछे–पीछे रवाना कर मय लैपटॉप, प्रिंटर, ट्रेप बॉक्स सरकारी बोलेरो मय चालक श्री विशेष कुमार 585 के रेलगांव, सीमलिया कोटा के लिए रवाना हुआ। समय 4.39 पी.एम. पर मन उपअधीक्षक पूर्व का रवानाशुदा मय हमराहीयान मय साथ लाए वाहनों के रेलगांव कस्बे से 3–4 किमी पूर्व जाकर रुका। जहां आरोपी की लाकेशन जानने हेतु परिवादी के मोबाईल नम्बर 9024687113 से आरोपी के मोबाईल नम्बर 7737311063 पर कॉल करवाया गया तो आरोपी ने कहा कि अभी मैं कस्बे रेलगांव में ही हूं। इस पर परिवादी द्वारा कहा गया कि मैं पट्रोल पंप की तरफ हूं, आप आ जाओ फिर मुझे भी कुछ काम है। इस पर आरोपी ने

कहा कि मैं देखता हूं। इस पर परिवादी ने कहा कि आरोपी रिश्वती राशि लेने जरुर आएगा। इस पर समय 04.41 पी.एम. पर परिवादी को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू करवाकर मुनासिब हिदायत कर आरोपी श्री सुरेश चंद सुमन तकनीकी सहायक प्रथम को रिश्वती राशि देने हेतु परिवादी स्वयं की मोटर साईकिल से रवाना किया तथा परिवादी को हिदायत की आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने पर अपने सिर पर दोनो हाथ फेरकर ईशारा करे। मन उप अधीक्षक पुलिस मय श्री असलम खान सउनि, श्री दीलीप कानि., मय चालक श्री विशेष कानि. 585, दोनों स्वतंत्र गवाहान के व श्री नरेश कानि. 144, श्री गिरिराज कानि. 387 को सरकारी मोटर साईकिल से आरोपी के पीछे–पीछे इण्डियन ऑयल पेट्रोल पंप रेलगांव– भाण्डाहेडा रोड हेतु रवाना हुआ। पेट्रोल पंप के आस–पास अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी के ईशारे का इंतजार करने हेतु निर्देशित कर अपने पीछे–पीछे थोडी दूरी बनाकर आने की हिदायत कर परिवादी के पीछे–पीछे रवाना हुआ। समय 04.46 पी.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस फिकरा उपरोक्त का रवनाशुदा मय हमराहीयान परिवादी श्री हरिओम सुमन के पीछे–पीछे पेट्रोल पंप रेलगांव– भाण्डाहेडा रोड से कुछ दुर पहले पहुंचा, परिवादी ने बताया कि उक्त पेट्रोल पम्प खुले स्थान पर है तथा आरोपी को सरकारी बोलेरो को देखकर शंका हो सकती है। अतः मन उप अधीक्षक पट्रोल पम्प से कुछ दूर पहले ही मुकीम हुआ तथा असलम खान सउनि, श्री गिरिराज कानि. 387 तथा श्री नरेश कानि. 144 को सरकारी मोटर साईकिल से पेट्रोल पम्प के नजदीक पहुंचकर पेट्रोल पंप के आस–पास अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी के ईशारे का इंतजार करने हेतु रवाना किया गया। मन उप अधीक्षक पुलिस मय शेष जाप्ता, मय दोनो स्वतंत्र गवाहान, मय सरकारी बोलेरो पेट्रोल पम्प से कुछ दूर पहले ही मुकीम हुआ। समय 4:50 पी. एम. पर परिवादी श्री हरिओम सुमन ने रेलगांव–भाण्डाहेडा रोड स्थित इण्डियन पेट्रोल पंप के पास से अपने सिर पर दोनो हाथ फेर कर आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने का पूर्व निर्धारित इशारा किया। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय दोनों गवाहान मय ट्रेप टीम के सदस्यों के परिवादी श्री हरिओम सुमन के पास पहुंचा तथा परिवादी से डिजीटल वॉईस रिकार्डर प्राप्त कर बन्द किया। परिवादी ने एक व्यक्ति जो काले रंग की बजाज प्लेटिना मोटर साईकिल पर बैठा तथा जिसने नीले रंग की फूल वाली शर्ट तथा काले रंग की पेन्ट पहनी हुई है, की ओर ईशारा कर बताया कि यह व्यक्ति ही सुरेश चंद सुमन तकनीकी सहायक है, जिसने अभी–अभी मुझसे मेरे हमारे कृषि कनेक्शन के बिल को मार्च, 2024 तक जीरो करने करने की एवज में 4,000 रू रिश्वत राशि अपने दाहिने हाथ से प्राप्त कर बांए हाथ में रखी तथा आपके आने पर अभी–अभी नीचे फेंक दी है। परिवादी के बताये हुये व्यक्ति को जाप्ते की मदद से डिटेन किया। मन् पुलिस उप अधीक्षक ने परिवादी द्वारा बताए गए व्यक्ति को तसल्ली देते हुए अपना व हमराहीयान का परिचय देकर आने के उद्देश्य से अवगत कराया एंव नाम–पते पूछे तो उक्त व्यक्ति ने अपना नाम श्री सुरेश चंद सुमन पुत्र नेमीचंद सुमन जाति माली, उम्र 35 साल निवासी रामदेव जी मंदिर के पास काला तालाब, थाना रेल्वे कॉलोनी तहसील लाडपुरा जिला कोटा हाल तकनीकी सहायक, कार्यालय सहायक अभियंता, जयपुर विधुत वितरण निगम लि., दीगोद, जिला कोटा होना बताया। इस पर आरोपी श्री सुरेश सुमन तकनीकी सहायक से परिवादी हरिओम सुमन से ली गई रिश्वत राशि के बारे में पूछा तो बताया कि मैने हरिओम सुमन जी से कोई रिश्वत राशि नही ली है, मैने तो इनके 1900रु का बिल जमा कराने तथा नया मीटर लगाने के 4000रु लिए हैं तथा इसने स्वंय अपनी मर्जी से मुझे रुपये दिए हैं। जो मैने दाहिने हाथ में प्राप्त किए, फिर अपने बांए हाथ में ले लिए तथा आप लोगों के आने पर मैं डर गया तथा मैने नीचे जमीन पर फेंक दिए। इस पर स्वतन्त्र गवाह श्री देवेश गुर्जर से नीचे जमीन पर पडे रुपयों को उठवाकर गिनवाया गया तो स्वतंत्र गवाह श्री देवेश गुर्जर ने नोटों को गिनकर 500–500 के 08 नोट कुल 4,000 रूपये होना बताया। इस पर उक्त नोटों के नम्बरों का मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहान से फर्द पेशकशी नोट सुपुर्द कर करवाया गया तो स्वतन्त्र गवाहान ने उक्त नोटो का मिलान फर्द पेशकशी नोट से कर हुबहू वही नोट होना बताया, जो परिवादी ने फर्द पेशकशी के वक्त पेश किये थे। उक्त नोटों को स्वतन्त्र गवाह श्री देवेश गुर्जर के पास सुरक्षित रखवाये गये। चूंकि रिश्वत प्राप्ती स्थल रेलगांव–भाण्डाहेडा आम रोड है तथा आने–जाने वाले लोगों की भीड भी इकट्ठी हो गई तथा आरोपी के इसी गांव में कर्मचारी होने तथा आरोपी की रिश्तेदारी आस–पास होने से आरोपी के रिश्तेदार व मिलने वालों से कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न करने की आशंका के मध्यनजर अग्रिम कार्यवाही हेतु उपयुक्त स्थान हेतु आरोपी के बांए हाथ को नरेश कानि. 144 तथा दाहिने हाथ को श्री गिर्राज कानि. 387 पकडवाकर आरोपी के हाथों को इसी स्थिति में रखने के निर्देश दिए जाकर सरकारी बोलेरो में बिठाया जाकर, आरोपी की मोटर साईकिल आर जे 20 एसई 6376 को स्वतंत्र गवाह श्री देवेश गुर्जर को लेकर पीछे–पीछे आने के निर्देश देकर साथ लाई सरकारी मोटर साईकिल को श्री असलम खान सउनि को लाने के निर्देश दिए व परिवादी को उसकी मोटर साईकिल से पीछे–पीछे आने के निर्देश देकर मन उपअधीक्षक पुलिस मय शेष ट्रेप टीम के थाना कैथून के लिए रवाना हुआ एवं समय 5.25 पी.एम. पर मय हमराहीयान थाना कैथून पहुंचा, जहां थानाधिकारी श्री हरि सिह मीणा उपस्थित मिले जिन्हे ट्रेप कार्यवाही से अवगत करवाया तथा ट्रेप कार्यवाही हेतु एक कक्ष उपलब्ध करवाने हेतु कहा तो थानाधिकारी द्वारा अनुसंधान कक्ष उपलब्ध

करवाया, जिसमें समय 5:30 पी.एम पर कार्यवाही प्रारम्भ की गई। आरोपी श्री सुरेश सुमन तकनीकी सहायक को एक कुर्सी पर बैठाया गया एंव मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा पुनः तसल्ली देकर पूछा गया कि आपने परिवादी श्री हरिओम सुमन से 4,000रू किस काम की एवज में लिये है, तो आरोपी श्री सुरेश सुमन तकनीकी सहायक ने बताया कि हरिओम सुमन जी हमारे समाज के हैं इसलिए मैं इनको जानता हूं। मैने हरिओम सुमन जी से कोई रिश्वत राशि नही ली है, मैने तो इनके 1900रु का बिल जमा कराने तथा नया मीटर लगाने के 4000रु लिए हैं तथा इसने स्वंय अपनी मर्जी से मुझे रुपये दिए हैं। आज श्री हरिओम सुमन जी मुझे उनके घर पर मिले थे तब इन्होने अपनी बिजली का बिल जमा करवाने तथा नया मीटर लगाने के लिए कहा था जिसका मैने 4,000रु खर्चा बताया था, इस पर पास खडे परिवादी ने आरोपी सुरेश चंद सुमन की बात का खण्डन करते हुये कहा कि सुरेश चंद सुमन जी झूठ बोल रहे है, हमारे कृषि कनेक्शन का बिल अधिक आने पर मैं इनसे मिला था तो इन्होने मीटर में गडबडी कर मार्च,2024 तक का बिलजी बिल जीरो करने की एवज में मुझसे 8,000 रुपयों की रिश्वत की मांग की। जिसकी शिकायत मैने आपके विभाग के टोल फ्री नम्बर 1064 पर की थी तथा आज आपके कार्यालय में लिखित शिकायत पेश की थी तथा शिकायत का गोपनीय सत्यापन करवाया गया तो इसने पहले तो 8,000रु रिश्वत राशि की मांग की तथा बाद में मेरे कम करने की कहने पर 7,000रु रिश्वत राशि लेने पर सहमत होकर 4,000रुपये आज तथा 3000रुपये बाद में लेने पर सहमत हुआ। इसलिए आज इनको मैने 4,000रू रिश्वत राशि दी है। इन्होने आज मुझसे 4,000रू अपने दाहिने हाथ में प्राप्त किए, फिर बांए हाथ में ले लिए उसके बाद ही मैने आपको ईशारा कर दिया था। रिश्वत प्राप्ति स्थल रेलगांव–भाण्डाहेडा रोड स्थित इण्डियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास से जमीन से बरामद रिश्वत राशि, जिसे गवाह श्री देवेश गुर्जर के पास सुरक्षित रखवाया गया था, उक्त बरामद शुदा रिश्वत राशि का पुनः फर्द पेशकशी से मिलान करवाया गया एंव बरामद रिश्वत राशि 500–500 रूपये के 08 नोट कुल 4,000रू के नोटों के नम्बर फर्द में अंकित किये गये। बरामद रिश्वत राशि के नोटो के नम्बरों का विवरण निम्नानुसार है :–

| क्र. स. | नोट | नोट का नम्बर |
|---|---|---|
| 1 | एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी | 5FS914509 |
| 2 | एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी | 2TR006974 |
| 3 | एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी | 8AL902232 |
| 4 | एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी | 3BP858925 |
| 5 | एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी | 7CT200500 |
| 6 | एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी | 6MA476108 |
| 7 | एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी | 1TF420033 |
| 8 | एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी | 8BK406948 |

उक्त रिश्वत राशि को एक पीले रंग के कागज के लिफाफे में रखवाकर लिफाफे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। आरोपी श्री सुरेश सुमन तकनीकी सहायक की हाथ धुलाई की कार्यवाही हेतु दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष थाना परिसर में लगे वाटर कूलर से एक बोतल में साफ पानी मंगवाया तथा प्लास्टिक के दो डिस्पोजेबल पारदर्शी गिलासों में पानी डलवाकर गिलासों में एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पावडर डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया गया तथा हाजरीन को दिखाया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना बताया। आरोपी श्री सुरेश सुमन तकनीकी सहायक के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को एक गिलास के घोल में धुलवाया गया, तो धोवन का गहरा गुलाबी आया जिन्हे दो कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर सील चिट कर मार्क RH-1, RH-2 अंकित किया। इसके पश्चात बायें हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को दूसरे गिलास के घोल में धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी आया, जिन्हे दो कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर सील चिट कर मार्क LH-1, LH-2 से अंकित किया। आरोपी श्री सुरेश सुमन तकनीकी सहायक की तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री देवेश गुर्जर से लिवाई तो आरोपी की पहनी हुई काले रंग की पेंट की जेब से एक महरुन रंग का पर्स जिसमें आरोपी का स्वयं का आधार कार्ड, स्वयं का ड्राईविंग लाईसेंस, स्वयं का पैन कार्ड, स्वयं का एसबीआई बैंक का एटीम कार्ड, पत्नि मीनाक्षी सैनी का आधार कार्ड तथा 500 रुपये का एक नोट मिला। रिश्वत मांग सत्यापन एवं वक्त लेन–देन रिश्वत वार्ता दोनों ही परिवादी को दिये गये डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है, जिसको परिवादी व रूबरू गवाहान, आरोपी के सामने डीवीआर चालू कर सुना गया तो उक्त रिश्वत मांग सत्यापन एवं वक्त रिश्वत लेन–देन वार्ता में परिवादी के कथनों की ताईद होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आरोपी श्री सुरेश सुमन तकनीकी सहायक ने परिवादी श्री हरिओम सुमन से कृषि कनेक्शन का बिल अधिक आने पर, मीटर में गडबडी कर मार्च तक का बिलजी बिल जीरो करने की एवज में परिवादी से 8,000रू रिश्वत राशि की मांग कर 7,000रु रिश्वती राशि लेने के लिए सहमत होकर, 4,000रू रिश्वत राशि प्राप्त करना, रिश्वत राशि आरोपी द्वारा दाहिने हाथ प्राप्त कर, फिर बांए हाथ में लेना तथा शक होने पर नीचे जमीन पर

फेंक देना, जहां रिश्वती राशि परिवादी के पैरो के पास से बरामद होना व आरोपी के दांए हाथ का धोवन का गहरा गुलाबी प्राप्त होना एंव बाऐं हाथी की अंगुलिया व अंगूठे के धोवन का हल्का रंग गुलाबी प्राप्त होने से आरोपी श्री सुरेश सुमन पुत्र नेमीचंद सुमन जाति माली, उम्र 38 साल निवासी रामदेव जी मंदिर के पास काला तालाब, थाना रेल्वे कॉलोनी तहसील लाडपुरा जिला कोटा हाल तकनीकी सहायक, कार्यालय सहायक अभियंता, जयपुर विधुत वितरण निगम लि., दीगोद, जिला कोटा के विरूद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (यथा संशोधित) अधिनियम 2018 का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। आरोपी की फर्द गिरफतारी पृथक से मुर्तिब की जाकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया तथा सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाए गए। श्री दिलीप कुमार कानि. 401 को उसका मोबाईल घटना स्थल पर कहीं रह जाने से कस्बा रेलगांव हेतु करीब 6.00 पी.एम. पर रवाना किया गया था जो करीब 8.30 पी.एम. उपस्थित आया। समय 10.00 पी.एम.पर वक्त रिश्वत मांग सत्यापन रिकॉर्ड वार्ता के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को श्री दिलीप कानि. 401 द्वारा कार्यालय के लैपटॉप में लगाया जाकर स्पीकर चालू कर परिवादी व दोनों गवाहान को सुनाया गया। परिवादी ने रिकॉर्ड वार्ता में एक आवाज स्वयं की, दूसरी आवाज आरोपी श्री सुरेश चंद सुमन की तथा तीसरी आवाज स्वयं के पिता श्री सुखलाल की होना पहचान की। स्वतंत्र गवाहान, आरोपी व परिवादी की उपस्थिति में फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता मेरे निर्देशन में श्री दिलीप कानि. 401 से हुबहु तैयार करवाई गई। फर्द पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 23.08.2023 को समय 00.30 ए.एम. पर परिवादी व आरोपी के मध्य दिनांक 22.08.2023 को समय 04.39 पी.एम. पर हुई रिकॉर्ड मोबाईल वार्ता को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को श्री दिलीप कानि. 401 द्वारा कार्यालय के लैपटॉप में लगाया जाकर स्पीकर चालू कर परिवादी व दोनों गवाहान को सुनाया गया। परिवादी ने रिकॉर्ड वार्ता में एक आवाज स्वयं की व दूसरी आवाज आरोपी श्री सुरेश चंद सुमन की होना पहचान की। स्वतंत्र गवाहान, आरोपी व परिवादी की उपस्थिति में फर्द ट्रांसक्रिप्ट मोबाईल वार्ता मेरे निर्देशन में श्री दिलीप कानि. 401 से हुबहु तैयार करवाई गई। फर्द पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। 01.05 ए.एम. पर वक्त रिश्वत लेन–देन रिकॉर्ड वार्ता को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को श्री दिलीप कानि. 401 द्वारा कार्यालय के लैपटॉप में लगाया जाकर स्पीकर चालू कर परिवादी व दोनों गवाहान को सुनाया गया। परिवादी ने रिकॉर्ड वार्ता में एक आवाज स्वयं की व दूसरी आवाज आरोपी श्री सुरेश चंद सुमन की होना पहचान की। स्वतंत्र गवाहान, आरोपी व परिवादी की उपस्थिति में फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत लेन–देन वार्ता मेरे निर्देशन में श्री दिलीप कानि. 401 से हुबहु तैयार करवाई गई। फर्द पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 02.00 ए.एम. पर आरोपी श्री सुरेश चंद सुमन तकनीकी सहायक, कार्यालय सहायक अभियंता, जयपुर विधुत वितरण निगम लि., दीगोद, जिला कोटा को उनकी आवाज का नमूना देने बाबत् नोटिस क्रमांक दस्ती दिनांक 23.08.2023 दिया गया तो आरोपी ने स्वयं के हस्तलेख से नोटिस नमूना आवाज पर लिखकर दिया कि मैं स्वेच्छा से अपनी आवाज का नमूना नहीं देना चाहता हूं। नोटिस नमूना आवाज को शामिल पत्रावली किया गया। समय 2.30 ए. एम. पर आरोपी श्री सुरेश चंद सुमन तकनीकी सहायक, कार्यालय सहायक अभियंता, जयपुर विधुत वितरण निगम लि., दीगोद, जिला कोटा को मन् विजयसिंह, उप अधीक्षक पुलिस, भ्र.नि.ब्यूरो कोटा देहात ने अपने पूर्ण नाम एंव पद का परिचय दिया एंव आरोपी को उसके अपराध को पढकर सुनाया। आरोपी को उसकी गिरफ्तारी के आधारों एंव कानूनी अधिकारों से अवगत करवाया जाकर प्रकरण हाजा में हस्ब कायदा गिरफ्तार किया जाकर हिरासत ब्यूरो लिया गया। आरोपी की जामा तलाशी गवाह श्री देवेश गुर्जर द्वारा लिवाई गई तो आरोपी के पास कोई अन्य वस्तु प्राप्त नही हुई। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी की इच्छानुसार उसकी पत्नि श्रीमति मीनाक्षी सैनी को मोबाईल नम्बर 7737311034 पर जर्ये मोबाईल दी गई। फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब की गई। आरोपी की मोटरसाईकिल तथा आरोपी की जामातलाशी में मिले दस्तावेज आधार कार्ड, पेन कार्ड, 500रुपये, आरोपी का पर्स इत्यादि को बाद में मौके पर उपस्थित आई आरोपी की पत्नि श्रीमति मीनाक्षी सैनी व रिश्तेदारों को सुपुर्द किए गए। समय 3.30 ए.एम पर कार्यालय के सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर को श्री असलम खान सउनि से लेपटोप में लगवाया गया। लेपटॉप में लाईसेंसी एन्टीवायरस संधारित है उससे उक्त डाटा को स्कैन किया गया, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई वाईरस/मालवेयर नही होना पाया गया। दिनांक 22.08.2023 को परिवादी श्री हरिओम सुमन व आरोपी श्री सुरेश चंद सुमन, तकनीकी सहायक के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, दिनांक 22.08.2023 को समय 04.39 पी. एम. पर परिवादी व आरोपी के मध्य हुई मोबाईल वार्ता तथा दिनांक 22.08.2023 को परिवादी तथा आरोपी के मध्य हुई रिश्वत लेन–देन वार्ता को कार्यालय के लेपटोप में लगाकर मेरे निर्देशन में असलम खान सउनि के द्वारा चार पेन ड्राईव तैयार करवाई गई। एक पेन ड्राईव वजह सबूत न्यायालय के लिए एवं एक पेन ड्राईव आरोपी के लिए एंव एक पेन ड्राईव एफ.एस.एल. से नमूना आवाज मिलान के लिए पृथक–पृथक कपड़े की थैलियों में बन्द कर सील मोहर की गई एवं कपडे की थैली पर सम्बधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। एक पेन ड्राईव अनुसंधान अधिकारी के लिए अनसील्ड ही रखी गई। तैयारशुदा चार पेन ड्राईव को कब्जे एसीबी लिया गया। उक्त समस्त रिकॉर्ड

वार्ताओं की हैश वैल्यू निकलवाई जाकर प्रिंट लिया गया तथा उक्त प्रिंटों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाए गए। कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर फर्द पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवार शामिल कार्यवाही की गई। समय 6.10 ए.एम. पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय परिवादी श्री हरिओम सुमन मय दोनो स्वतंत्र गवाहान मय सरकारी बोलेरो मय चालक श्री विशेष कुमार कानि. चालक 585 के वास्ते निरीक्षण नक्शा मौका घटना स्थल इण्डियन पेट्रोल पम्प, रेलगांव–भाण्डाहेडा रोड कस्बा रेलगांव थाना सीमलिया हेतु रवाना हुआ। समय 6.40 ए.एम. पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान इण्डियन पेट्रोल पम्प, के सामने रेलगांव–भाण्डाहेडा रोड कस्बा रेलगांव थाना सीमलिया पहुंचा, जहां आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि प्राप्त करने वाले स्थल का निरीक्षण कर परिवादी की निशादेही से दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष घटनास्थल का नक्शा मौका मुर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया। समय 7.30 ए.एम. पर मन् उप अधीक्षक पुलिस पूर्व का रवानाशुदा मय हमराहीयान बाद कार्यवाही नक्शा मौका घटना स्थल मय पत्रावली उपस्थित थाना परिसर कैथून आया। समय 7.50 ए.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस, मय परिवादी, मय दोनो स्वतंत्र गवाहान मय श्री असलम खान सउनि, श्री नरेश यादव कानि0 144, श्री गिरिराज कानि. 387, श्री दिलीप कानि. 401 मय सरकारी वाहन मय चालक श्री विशेष कुमार कानि. 585 मय सरकारी मोटर साईकिल, गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री सुरेश चंद सुमन, बरामदशुदा रिश्वत राशि का लिफाफा, आरोपी श्री सुरेश चंद सुमन के हाथों के धोवन की 04 शीशियां, व शील्डशुदा पेन ड्राईव–03 व एक अनशील्ड पेनड्राईव, डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय पत्रावली ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप व प्रिन्टर के रवाना हुआ, परिवादी को सकुशल रुकसत किया गया। समय 08.35 ए.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस उक्त फिकरा का रवानाशुदा कार्या. भ्र.नि.ब्यूरो कोटा देहात पहुॅचा। जहॉ प्रकरण के समस्त आर्टिकल्स को श्री गिरिराज कानि. 387 को सुपुर्द कर मालखाना में सुरक्षित जमा करवाये गये। दोनों गवाहान को सकुशल रूखसत किया गया।

उपरोक्त समस्त कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री हरिओम सुमन गावं रेलगांव थाना सीमलिया का निवासी है, जिसकी पैतृक कृषि भूमि पर परिवादी के पिताजी सुखलाल के नाम से विधुत कनेक्शन लिया हुआ है। जिसके के नम्बर– 210745005480 है, जिसका बिजली बिल अधिक आने पर आरोपी तकनीकी सहायक प्रथम श्री सुरेश चंद सुमन परिवादी के कृषि कनेक्शन के मीटर में गडबडी करके बिजली के बिल को मार्च, 2024 तक का जीरो करवाने की एवज में आरोपी श्री सुरेश चंद सुमन तकनीकी सहायक, कार्यालय सहायक अभियंता, जेवीवीएनएल, दीगोद, कोटा द्वारा परिवादी से 8,000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग कर 7000रु रिश्वती राशि लेने हेतु सहमत हुआ, जिसमें से 4000रुपये उसी दिन तथा 3,000 रुपये बाद लेने हेतु सहमत हुआ, जिसकी पुष्टि दिनांक 22.08.2023 को करवाये गये रिश्वत मांग सत्यापन से होती है। इसी क्रम में दिनांक 22.08.2023 को आरोपी सुरेश चंद सुमन तकनीकी सहायक को परिवादी से 4,000रुपये रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। रिश्वत राशि 4,000रू आरोपी सुरेश चंद सुमन द्वारा दाहिने हाथ में प्राप्त कर बांए हाथ में ली गई तथा ट्रेप पार्टी के आने पर नीचे जमीन पर फेंक दी, जो आरोपी के पैरो के पास से जमीन से बरामद की गई। आरोपी के दाहिने हाथ की अंगुलिया व अंगूठे की धुलाई के धोवन का रंग गहरा गुलाबी प्राप्त होने व आरोपी के बांऐ हाथ की अंगुलिया व अंगूठे की धुलाई के धोवन का रंग हल्का गुलाबी प्राप्त होने से आरोपी श्री सुरेश चंद सुमन के विरूद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधि. 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। इत्यादी सम्पूर्ण तथ्यों से आरोपी श्री सुरेश चंद सुमन पुत्र नेमीचंद सुमन जाति माली, उम्र 38 साल निवासी रामदेव जी मंदिर के पास काला तालाब, थाना रेल्वे कॉलोनी तहसील लाडपुरा जिला कोटा हाल तकनीकी सहायक, कार्यालय सहायक अभियंता, जयपुर विधुत वितरण निगम लि., दीगोद, जिला कोटा द्वारा जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधि. 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध कारित करना पाया जाने से बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवा में प्रेषित है।

(विजय सिंह )
उप अधीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
कोटा देहात

## कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री विजय सिंह, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा देहात, कोटा ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री सुरेश चंद सुमन पुत्र श्री नेमीचंद सुमन हाल तकनीकी सहायक, कार्यालय सहायक अभियंता, जयपुर विधुत वितरण निगम लि. दीगोद, जिला कोटा के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 229/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

23.8.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांकः-2644-47 दिनांक 23.08.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
3. अधीक्षण अभियंता, जयपुर डिस्कॉम, कोटा।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा देहात, कोटा।

23.8.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।